

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का तुसारी यनाम दामो

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 प्रलम्ब प्रपट्ट

निर्णय दिनांक :- 31-12-18

प्रकरण संख्या :- 34/2018

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि यानम तुसारी की आ.ख.नं. 454 फुल रकवा 1.01. क्रिश्म जमीन गठसु में से 0.01. रकवा पर श्री दामो 510 दिवदा जख पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर नीतोंद काजा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का तुसारी द्वारा दिनांक 20/12/18 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट भय लाईय भू.अ.निरी. के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी दामो 510 दिवदा जाति पावत निवासी तुसारी को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकवा आ.ख.नं. 454 रकवा 0-01 में से 0-01 रकवा क्रिश्म गठसु पर है जो नियम के योग्य नहीं है लिहाजा नॉरस्वायम को अतिक्रमित रकवा से वेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं टण्ड स्वरूप लगान 63 Pais का 60 गुना 32/- रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु सीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी तुसारी भू.अ.निरी. को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार  
कठूमर, अलवर (राज.)

अतिरिक्त - प. ह.

रा. नं. 4 के तहत 16 अथवा 6

सं. 2018-19 कायमी नं. 321

की कायमी की गई

Handwritten signature and official stamp of the Tahsil Dar.